



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849]
No. 849]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2008/आषाढ 2, 1930
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2008/ASADHA 2, 1930

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जून, 2008

का.आ. 1512(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई है। संख्यांक का. आ. 122(अ), तारीख 6 फरवरी, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के, स्तम्भ (3) में, क्रम संख्या 27 के सामने "डी डब्ल्यू आर-17" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "डी बी डब्ल्यू-17" अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 17-9/2008-एस.डी. IV]
एस. के. पटनायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 122(अ), तारीख 6 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2008

S.O. 1512(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Number S.O. 122(E), dated the 6th February, 2007 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely :—

In the said notification, in the Table, in column (3), against Serial Number 27, for the letters and figures "DWR-17", the letters and figures "DBW-17" shall be substituted.

[F.No. 17-9/2008-SD. IV]
S. K. PATTANAYAK, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published *vide* Number S.O. 122(E), dated the 6th February, 2007.